कृषि महाविद्यालय, मण्डोर,जोधपुर

कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर–३४२३०४,राजस्थान

COLLEGE OF AGRICULTURE

AGRICULTURE UNIVERSITY, JODHPUR- 342304
RAJASTHAN

Dr. Ummed Singh
Dean

Mob.: 9462719565
Tele:
0291 2572565(O)
E-mail:
coajodhpur@gmail.com

No: F.(3)/BID/Farm/COA/Jodh/2019/6195 दिनांकः– 14/06/2019

निविदा सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर के फार्म पर खरीफ, रबी एवं जायद 2019–20 की फसलों को हिस्सा आधारित खेती (बटाई पर) अनुबन्ध के तहत करवाने हेतु मोहरबन्द निविदाऐ आमंत्रित की जाती है। इच्छुक व्यक्ति अपनी निविदा दिनांक 24/06/2019 (सोमवार) को दोपहर 12:30 बजे तक इस कार्यालय में सीलबन्द लिफाफे में धरोहर राशि रूपये 5000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) बैंक ड्रॉफ्ट के साथ, जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर के नाम देय हो, संलग्न कर निविदा पेटी के अन्दर जमा करवा सकते है। निविदा उसी दिन (दिनांक 24/06/2019) को दोपहर 1:30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोली जायेगी। निविदा प्रपत्र एवं निविदा की शर्तें कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते है तथा निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/– (अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र) का बैंक ड्राफ्ट के रूप मे अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मड़ोर, जोधपुर के नाम देय हो, सलंग्न कर जमा करवाएं। निविदा की शर्तें कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर की वेबसाइट www.aujodhpur.ac.in एवं राजस्थान राज्य लोक उपापन की वेबसाइट http://sppp.rajasthan.gov.in पर देखी/पढ़ी जा सकती है। निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत/स्थगित/निरस्त आदि करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता का रहेगा।

अधिष्ठाता

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवष्यक कार्यवाही हेतु :–

1. श्रीमान वित्त नियंत्रक, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर
2. निविदा अनुमोदन कमेटी.डॉ एस.के.मूंड, सह. प्राध्यापक/डॉएम.एम. कुमावत, सह. प्राध्यापक/डॉ पंकज लावानिया,सहायक प्राध्यापक/डॉ उमा नाथ शुक्ला, सहायक प्राध्यापक/श्री सुगन सिंह, रोकड शाखा, कृषि महाविद्यालय,मण्डोर–जोधपुर ।
4. फार्म प्रभारी/फार्म प्रबन्धक/फार्म स्टोर, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर।
5. लेखा शाखा /रोकड शाखा, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर।
6. सूचना पट्ट / कृषि महाविद्यालय/कृ.अ.के/पी.सी. युनिट, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर

अधिष्ठाता

कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर
कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर–342304
हिस्सा आधारित फसलों की खेती हेतु निविदा

निविदा प्रपत्र कम संख्या	
निविदा कम संख्या	No: F.(3)/BID/Farm/COA/Jodh/2019/ 6195 दिनांकः– 14/6/2019
निविदा प्रपत्र शुल्क	रूपये 500/–(अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र)रूपये बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में
धरोहर राशि	रूपये 5000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) बैंक ड्रॉफ्ट के रूप में
निविदा संदर्भ	खरीफ, रबी एवं जायद 2019–20
परिशिष्ट संख्या–एक	हिस्सा आधारित प्रणाली पर खरीफ, रबी एवं जायद 2019–20
परिशिष्ट संख्या–दो	हिस्सा आधारित प्रणाली पर खरीफ, रबी एवं जयाद 2019–20
कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ–2019, रबी 2019–20 एवं जायद 2020
निविदा जमा कराने की अंतिम तिथि	24/06/2019 दोपहर 12:30 बजे तक
निविदा खोलने की तिथि	24/06/2019 दोपहर बाद 1:30 बजे
निविदा खोलने का स्थान	कार्यालय अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर
पत्राचार हेतु पता	अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर.–जोधपुर कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर (राज) 342304

नोटः–निविदा प्रपत्र मय शुल्क एवंधरोहर राशि बैंक ड्राफ्ट के रूप मे पृथक रूप में बनवाकर जो कि अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मड़ोर, जोधपुर के नाम देय हो, सलंग्न कर निविदा पेटी में जमा करवाएं।

संलग्न– निविदा प्रपत्र एवं आवश्यक शर्ते–

अधिष्ठाता

परिशिष्ट –1

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा प्रपत्र
(निविदा शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करे)

निविदा क्रम संख्या	No: F.(3)/BID/Farm/COA/Jodh/2019/6195 दिनांकः– 14/6/2019
योजना का नाम	हिस्सा आधारित प्रणाली पर खरीफ–2019, रबी–2019–20 एवं जायद–2020 में बीजो उत्पादन फसलों की खेती
कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ–2019, रबी–2019–20 एवं जायद–2020
निविदादाता का नाम व पता	..... _____ दूरभाष नं.....
धरोहर राशि का विवरण	रूपये 5000/–(बैक ड्राफ्ट) बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक..... बैंक का नाम.....शाखा .....
निविदा प्रपत्र शुल्क का विवरण	रूपये 500/–(बैक ड्राफ्ट) बैंक ड्राफ्ट सं.....दिनांक..... बैंक का नाम.....शाखा .....

कृषि महाविद्यालय, मण्डोर के फार्म की पैदावार में निविदादाता/ठेकेदार एवं कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर की हिस्सेदारीः–

क.सं.	विवरण दाना/बीज उपज	निविदादाता/ठेकेदार का हिस्सा (प्रतिशत में)	कृषि महाविद्यालय, का हिस्सा (प्रतिशत में)

हस्ताक्षर–निविदादाता (ठेकेदार)

निविदादाता का नाम.....

परिशिष्ट–2

हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा की आवश्यक शर्ते

(निविदा शर्तो का ध्यानपूर्वक अध्ययन के पश्चात ही निविदा प्रस्तुत करें)

1. निविदा सीलबन्द लिफाफे में अधिष्ठाता, कृषि महावविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर के नाम देय हों तथा निविदा लिफाफे पर **"हिस्सा आधारित बीजोत्पादन फसलों की खेती हेतु निविदा दिनांक 24/06/2019 दोपहर 12:30 बजे तक देय"** तथा निविदादाता का पता लिखा होना चाहिये।
2. निविदा स्याही से लिखी होनी चाहिये एवं हिस्सा (प्रतिशत मे) अंको व शब्दो में स्पष्ट लिखा होना चाहिये किसी प्रकार की कांट छांट अथवा ऊपर ठीक किया हुआ स्वीकृत नही होगा।
3. निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पेज पर निविदादाता के हस्ताक्षर होने चाहिये।
4. निविदा दरें निविदा अनुमोदन के पश्चात खरीफ–2019, रबी–2019–20 एवं जायद–2020 के लिये मान्य होगी।
5. निविदा के साथ निविदा प्रपत्र शुल्क रू 500/–(अक्षरे रूपये पाँच सौ मात्र) एवं धरोहर राशि रूपये 5000/– (अक्षरे रूपये पांच हजार मात्र) बैंक ड्रॉफ्ट पृथक रूप में बनवाकर जो कि अधिष्ठाता, कृषि महावविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर के नाम देय हो, को प्रस्तुत करे । धरोहर राशि के बिना एवं निर्धारित दिनांक 24/06/2019 एवं समय (12:30 दोपहर) के पश्चात् प्राप्त निविदा पर कोई विचार नही किया जायेगा। चैक के रूप में धरोहर राशि स्वीकार नही की जायेगी।
6. ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी का कार्य व बुवाई आदि हेतु आवश्यक मशीनरी की व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जायेगी अर्थात इनसे संबधी डीजल खर्च, वाहन चालक व्यवस्था में निविदादाता का कोई योगदान नही होगा । इस कार्य में समस्त प्रकार के श्रमिक अवयव ठेकेदार के होगे।
7. बुवाई हेतु बीज एवं खाद की आपूर्ति केन्द्र द्वारा की जायेगी। खेत की सफाई, जुताई सीड ड्रिल द्वारा बुवाई खरपतवार निकालना, सफाई व पैकिंग आदि का कार्य ठेकेदार स्वंय ही करायेगा अर्थात बुवाई से लेकर फसल काटने व उत्पादन निकालने तक का श्रमिक अवयव व इसके बाद उत्पादन की सफाई करके उसे बोरो में भरकर पैकिंग कर गोदाम में तौलने तक का समस्त श्रमिक अवयव निविदादाता का ही होगा।
8. फसल वृद्वि के दौरान रोग व कीट प्रकोप की स्थिति में फफूंद नाशक, कीटनाशक व अन्य छिडकाव, पानी आदि की आपूर्ति भी केन्द्र ही करेगा, परंतु श्रमिक अवयव निविदादाता के ही होंगे ।
9. स्वीकृत निविदादाता को केन्द्र द्वारा उपलब्ध बून्द–बून्द व मिनी फव्वारा सिंचाई सुविधा का विद्युत वितरण की उपलब्धता पर पूर्ण उपयोग करना होगा, चाहे वह दिन में आये या रात्रि में।
10. सिंचाई हेतु बून्द–बून्द व मिनी फव्वारा प्रणाली का प्रयोग ठेकेदार को करना होगा, इस हेतु मशीन ऑपरेटिंग व सिंचाई हेतु लगने वाली प्रकिया में श्रमिक अवयव ठेकेदार का ही होगा। केवल तकनीकी सहायता केन्द्र द्वारा दी जायेगी।

11. बीज उत्पादन हेतु विभिन्न प्रकार की शस्य क्रियाऐं जैसे निराई–गुडाई (कम से कम दो बार) एवं रोगिंग (अवांछित पौधो एवं झांडियों को निकालना) अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर के निर्देशानुसार करनी होगी तथा सभी श्रमिक अवयव निविदादाता को वहन करना होगा।

12. निराई–गुडाई सिंचाई व अन्य कृषि से सम्बनधित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुए करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी को होगा।

13. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा, जो कि ठेकेदार को मानना बाध्य होगा।

14. पम्प/टयूब वेल मोटर ऑपरेशन का कार्य निविदादाता को ही करना होगा।

15. फसलों की रखवाली करने की, समय पर निराई–गुडाई व जैविक दवाओं का छिडकाव/भुरकाव तथा समय पर तुडाई की पूर्ण जिम्मेदारी निविदादाता की होगी । इसमें शिथिलता बरतने व नुकसान होने पर समिति द्वारा आंकलन किया जायेगा, जिसे निविदादाता के भुगतान में से काट लिया जायेगा।

16. ठेकेदार के श्रमिको द्वारा यदि फार्म की सम्पत्ति को किसी भी प्रकार की कोई कृषि या अन्य नुकसान पहुंचाया गया तो उसका हर्जाना ठेकेदार को भरना होगा अन्यथा नुकसान का हर्जाना अदा नहीं करने पर धरोहर राशि में से काट लिया जावेगा।

17. फसल के दौरान निविदादाता स्वंय के पशु बगैरहा फार्म पर नहीं लायेगा तथा ना ही यहां से हरा चारा आदि ले जाने दिया जायेगा।

18. कृषि महाविद्यालय के फार्म पर उपलब्ध घास, लूगं, पातड़ी व पेड़ इत्यादि पर ठेकेदार का अधिकार नहीं होगा।

19. निविदादाता (ठेकेदार) उपरोक्त भूमि किसी अन्य व्यक्ति को काश्त हेतु आगे से आगे नहीं देगा अन्यथा उसका ठेका रद्द किया जा सकता है।

20. निविदादाता को केन्द्र के मुख्य द्वार से ही आना–जाना करना होगा। किसी भी अवांछित व्यक्ति को फार्म पर आने की इजाजत नहीं होगी।

21. हिस्सा आधारित बीजोत्पादन खेती की बुवाई के क्षेत्रफल को बढाने या कम करने का तथा फसलों के चयन का अधिकार अधिष्ठाता को होगा। किसी भी विवाद की स्थिति में अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम होगा, जो कि निविदादाता को मानना बाध्य होगा।

22. केन्द्र के फार्म पर निविदादाता को अधिष्ठाता/फार्म प्रभारी/फार्म मैनेजर द्वारा बताई गई फसलों की ही बुवाई करनी होगी, इसके अलावा कोई भी फसलों की बुवाई निविदादाता द्वारा नहीं की जा सकेगी।

23. फार्म कार्य हेतु आवश्यक मशीनरी जैसे फावडा, कुदाली गेती, खुरपी, दांतली, चौसनी आदि ठेकेदार को स्वंय लाने होंगे।

24. निविददाता को खरीफ–2019, रबी–2019–20 एवं जायद–2020 में बीजोत्पादन के अंतर्गत फसलों की खेती से प्राप्त उपज को थ्रेशिंग के तुरन्त बाद जमा कराना होगा। यदि निविदादाता के हिस्से का खरीफ–2019, रबी–2019–20 एवं जायद–2020 का उत्पादन इस केन्द्र द्वारा क्रय

किया जाता है, तो निविदादाता को उसके एवज में उपज जमा कराने के पश्चात उसके तुरंत अगले सात दिन (एक सप्ताह) तक की कृषि उपज मण्डी में रही अधिकतम–न्यूनतम की औसत दर से 10 प्रतिशत अतिरिक्त राशि से भुगतान किया जायेगा। उपरोक्त उत्पादन को क्रय करने का प्रथम अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर का होगा, जो ठेकेदार को मान्य होगा।

25. फार्म पर उत्पादित फसल का चारा पूरा ठेकेदार का होगा।

26. अमानत राशि/धरोहर राशि कार्य पूरा हो जाने के बाद फार्म मेनेजर/कृषि पर्यवेक्षक से No Dues के बाद लौटा दी जायेगी। सफल निविदादाता के अलावा सभी को धरोहर राशि निविदा अनुमोदन के बाद प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर 7 दिन मैं लौटा दी जायेगी। धरोहर राशि पर कोई ब्याज देय नहीं होगा।

27. किसी भी विवाद का निपटारा करने हेतु अधिष्ठाता का निर्णय अंतिम रूप से मान्य होगा और ठेकेदार पालना के लिये बाध्य होगा। विशेष परिस्थितियों में विवाद को माननीय कुलपति महोदय, कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर के ऑविष्ट्रेशन में प्रस्तुत करना होगा और उनका निर्णय ठेकेदार को मान्य होगा।

28. किसी भी निविदा को बिना कारण बतायें निरस्त करने का अधिकार अधिष्ठाता, कृषि महाविद्यालय, मण्डोर–जोधपुर के पास सुरक्षित रहेगा एवं अधिष्ठाता के निर्णय सर्वमान्य होंगे।

मुझे निविदा की समस्त शर्ते मंजूर है तथा मैं उपरोक्त वर्णित शर्तो पर कार्य करवाने के लिये सहमत हूँ। निविदादाता/ठैकेदार के हस्ताक्षर दिनांक.....	अधिष्ठाता हस्ताक्षर मय सील	समिति सदस्यों के हस्ताक्षर